लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चितौड़गढ़ (राज0)

सूरजी देवी पिता रमेश राव निवासी नपावली, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

बनाम

1–सचिव, ग्राम पंचायत नपावली, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

2–विकास अधिकारी, पंचायत समिति, भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

किस्म प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

GCMS no – 2021/34 प्रकरण संख्या 02/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/01/2021	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलार्थीया सूरजी देवी पिता रमेश राव निवासी नपावली, तहसील भदेसर द्वारा सूचना प्राप्ति हेतु एक आवेदन दिनांक 13.10.2020 को सचिव, ग्राम पंचायत, नपावली को प्रस्तुत किया जिस पर सचिव, ग्राम पंचायत, नपावली द्वारा अपीलार्थीया को सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थीया द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत, नपावली के विरूद्ध प्रथम अपील दिनांक 18.11.2020 को प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, भदेसर को प्रस्तुत की गई। उसके बावजूद भी लोक सूचना अधिकारी (सचिव), ग्राम पंचायत, नपावली तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, भदेसर द्वारा अपीलार्थीया को उक्त आवेदन पत्र से चाही गई सूचनाऐं उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थीया द्वारा यह अपील इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई है। यहां यह उल्लेखनीय है कि यह कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का प्रथम अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नही कराने पर ही अपील ग्रहण करता है। अपील के साथ संलग्न सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत आवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आवेदन सचिव, ग्राम पंचायत, नपावली को सम्बोधित है एवं चाही गई सूचनाएं भी ग्राम पंचायत, नपावली से संबंधित है जो कि पंचायती राज विभाग का विषय है। लोक सूचना अधिकारी (सचिव), ग्राम पंचायत, नपावली तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, भदेसर के विरूद्ध प्रस्तुत अपील पर इस कार्यालय द्वारा सुनवाई की सक्षमता/क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः अपीलार्थीया को संबंधित अपीलोय प्राधिकारी (विकास अधिकारी, पंचायत समिति, भदेसर) से सम्पर्क कर सूचना प्राप्त करने तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में माननीय राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर में द्वितीय अपील प्रस्तुत करने के परामर्श के साथ अपील निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। (के.के. शर्मा) लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official